UPSR010012052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

जमानत आवेदन सं० 454/2026

जीवन लाल गोस्वामी उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र मिश्रीलाल गोस्वामी,
निवासी–सहियापुर दा० भीखपुर तराई, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र० **.....अभियोगी**

अ० सं०–233/2026
धारा–303(2), 317(2), 317(4),
3(5) बी०एन०एस० 2023
थाना–को० भिनगा, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक 15.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **जीवन लाल गोस्वामी** की ओर से अपराध संख्या 233/2026, धारा–303(2), 317(2), 317(4) व 3(5) बी०एन०एस० 2023, थाना को० भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामआसरे पुत्र भारत विश्वकर्मा, निवासी सहियापुर मौजा भीखपुर तराई, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती ने प्रभारी निरीक्षक थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती को दिनांक 26.05.2026 को समय 20.33 बजे इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 25.05.2026 को सुबह लगभग 10.00 बजे उसकी व रामसुन्दर पुत्र ननकऊ गोस्वामी निवासी पता उपरोक्त की 3 भैंसे चराने के लिए छोड़े थे। घर पर जनगणना कर्मचारियों से मिलने में लगभग 30 मिनट का समय लग गया तथा लौटकर आने पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तीनों भैंस चोरी कर कहीं हंकवा दिया गया। काफी तलाश करने के बाद भी अभी तक कोई पता सुराग नहीं लगा है। अतः उक्त प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गई। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध धारा 303(2) बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत आवेदन के समर्थन में इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन फंसा दिया गया है

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.15 16:26:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त ने मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। दिनांक 25.05.2026 को सुबह लगभग 10 बजे अभियोगी व रामसुन्दर ने समय लगभग सुबह 10 बजे चरने के लिए छोड़े थे। घर पर जनगजना कर्मचारियों से लगभग 30 मिनट बात करने के बाद किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा भैस चोरी कर ली गई जिनका अभी तक कोई पता सुराग नहीं लगा है। घटना दिनांक 25.05.2026 को सुबह लगभग 10 बजे की बताई जाती है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.05.2026 को 20.33 बजे जो लगभग 34 घंटे बाद लिखाई जाती है जिसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। दिन में 10 बजे भैसों का चरना और चोरों द्वारा उनकी चोरी कर लेना और किसी भी व्यक्ति के नजर में न आना घटना को सन्देहास्पद बनाता है और झूठा साबित करता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– मुकदमा अपराध संख्या 233/2026, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गई है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । मामले में विवेचना प्रचलित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करने को तैयार है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जीवन लाल गोस्वामी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

I– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

II– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

III– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने

का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपर्युक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 15.06.2026

(दिनेश चन्द**)**
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती